

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक

शिवम साइन्स अकादमी,  
भाटपाररानी, देवरिया।

पत्रांक:—परि०/मान्यता/१६९५-१४

/2019-20 दिनांक: 14 अक्टूबर 2019

विषय:—अशासकीय उ०प्रा०वि० (कक्षा-नर्सरी से 08 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मान्यता की नयी नियमावली के सन्दर्भ में निम्न प्राविधान है— “प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।”

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जांच करायी गयी जांचोपरान्त, कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त आदेश सं०-परिषद्/क०लि०/मान्यता/21830/2016-17 दिनांक 31 दिसम्बर 2016 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय



(ओम प्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया।

पृ०सं०:—परि०/मान्यता/

/2019-20 दिनांक वही।

प्रतिलिपि:— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया।